2024/270

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट — बनाम — **अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट**

श्री नेमीचन्द जैन पुत्र श्री रायचन्द जैन
निवासी जैन मन्दिर के पास
सिरोही रोड
जिला सिरोही।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** — मुकदमा नं. 5 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
16.10.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 27.08.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री कपूरचन्द जैन द्वारा एक ही मामले में दो भिन्न–भिन्न निर्णय श्रीमान जिला कलक्टर सिरोही के यहां करवाए गए है। एक ही मामले में ऐवीडेन्स एक्ट में दो भिन्न–भिन्न निर्णय करवाने का प्रावधान नहीं होने से द्वितीय निर्णय किस नियम के तहत निरस्त करवाने या पुनः सुनवाई का क्या प्रावधान है। उक्त आदेशों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं।	
	मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनांक 27.08.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री कपूरचन्द जैन द्वारा एक ही मामले में दो भिन्न–भिन्न निर्णय श्रीमान जिला कलक्टर सिरोही के यहां करवाए गए है। एक ही मामले में ऐवीडेन्स एक्ट में दो भिन्न–भिन्न निर्णय करवाने का प्रावधान नहीं होने से द्वितीय निर्णय किस नियम के तहत निरस्त करवाने या पुनः सुनवाई का क्या प्रावधान है। उक्त आदेशों की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सू.अ./रेकर्ड/2024/245 दिनांक 06.09.2024 एवं 263 दिनांक 27.09.2024 के द्वारा अपीलांट को सूचित किया जा चुका है। अतः उपरोक्त सूचना के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही के स्तर पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:34:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner